

न्यायालय तपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

सामग्री

बनाम

कारणी सिध चारि

प्रकरण अंतर्गत पास 88/188/53 R/A

प्रकरण सं 04 तान 2022

जी सी एम पास न 2022/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इतिशियत जज	जारी तारीख का नाम्बर/दिनांक
---------------	---------------------------------	--------------------------------

6.1.22 आज प्रार्थी/वादी की ओर से एक प्रार्थना/वाद पत्र प्रस्तुत होने पर यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस/सम्पन तालब करके पत्रावली दिनांक 14.1.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़

12.1.22 आज यह पत्रावली गरी के साथ साथ का पैम काने पर पेशी में की गई गरी ने साथ पत्र इस रूप का पैम किया कि वाड में वादग्रस्त कृषि भूमि वाडी के परदादा अवाहल सिंह डाग खरीद नही की गई थी बल्कि वाडी की परदादी किमन कोट डाग खरीद की गई थी। वाड में खदभादी गलती से उमल कृषि भूमि अपने परदादा अवाहल सिंह डाग खरीद काना वर्णित हो गया है। जो कि एक Material Defect है इसलिए वाडी तथा वाड एवं साथ पत्र पैम काने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अनवासी वाड एवं सम्पना पत्र को वापिस लेना चाहता है।

सामग्री  
प्रमाण सं  
अ  
(दिनांक 14.1.22)

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वाडी द्वारा सहस्र साथ पत्र के आधार पर वाडी के पुनः वाड पैम काने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाड-वाडी सभी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निम्नानुसार दायित्व कम्पन हेमल नम्बर से कर है।

प्रियंका (सामानिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़